87

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्रमांक II/निग/छतरपुर/भू-रा/2017/1576 सन् 2017

सुदामा तनय मंगी कुशवाह निवासी ग्राम बछोन तहसील चन्दला जिला छतरपुर

आवेदक

बनाम

1. अनिल कुमार उर्फ छुट्टू तनय मुन्नी लाल कुशवाह
2. ललतिया पुत्री गोरे बढई
3 रजिया पुत्री गोरे बढई
4 सरजू पुत्री गोरे बढई समस्त निवासीगण ग्राम बछोन तहसील चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0

अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 03.6.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं 1959

निगरानी आदेश विरूद्व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/अपील 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 से दुखी व परिवेदित होकर

03/06/17

श्रीमान जी,

सेवा में आवेदक निम्नलिखित निगरानी पेश करता है :–

(1) यहकि, निगरानी प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि वाद भूमि का नामांतरण आवेदक के पक्ष में बाहमी विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी में नामांतरण पंजी में दर्ज कर तहसीलदार महोदय से नामांतरण आदेश पारित करा लिया था जिसका अमल हल्का पटवारी ने नहीं किया बाद भूमियां मूल खातेदार कोरे बढई के नाम दर्ज रही जब गोरे बढई की मृत्यु हो गई तब हल्का पटवारी ने मृतक गोरे बढई के स्थान पर उसके वारिसानों के नाम नामांतरण किया और जब इस बात की जानकारी आवेदक को हुई तब आवेदक ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय चंदला के न्यायालय में पेश किया जिसका प्रकरण कमांक 46/अ–6अ/2011–12 आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-1575-एक/2017 जिला छतरपुर सुदामा विरूद्ध अनिल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

28.12.18

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य